

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक विविध सं.- 9036

पीएस थाना मामला सं.-612 वर्ष-2019 से उत्पन्न थाना-पीरबहोर जिला-पटना

राज कुमार ठाकुर उर्फ राज कुमार, पुत्र-राम जनम ठाकुर निवासी मोहल्ला-नई पटना कॉलोनी,
पी. एस.-बेउर, जिला-पटना

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 37 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1975 धारा 439 जमानत याचिका याचिकाकर्ता की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार एक बैग से ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला 9.800 किलोग्राम पदार्थ कार में बैठे आरोपी व्यक्तियों के पैरों के पास से पाया गया था। घटना के समय याचिकाकर्ता को उम्र 32 वर्ष थी। उसने अब तक हिरासत में 3 साल पूरे कर चुके हैं। एन डी पी एस अधिनियम की धारा 37 की अनिवार्य शर्तें कमजोर हो गई हैं और आरोपी को नियमित जमानत का विशेषाधिकार दिया जा सकता है, जब उसके एन डी पी एस अधिनियम के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता 27.11.2019 से हिरासत में है और निकट भविष्य में परीक्षण की लगभग कोई संभावना नहीं है। शर्तों के तहत जमानत दी गई (पैरा 12, 13 और 14) कुलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य एस एल पी (आप) सं० 518/2021 का निर्णय 20.11.2021 और अमित सिंह मोनी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (आप० अपील सं० 668/2020) का 12.10.2010 को निर्णय लिया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक विविध सं.- 9036

पीएस थाना मामला सं.-612 वर्ष-2019 से उत्पन्न थाना-पीरबहोर जिला-पटना

राज कुमार ठाकुर उर्फ राज कुमार, पुत्र-राम जनम ठाकुर निवासी मोहल्ला-नई पटना कॉलोनी,
पी. एस.-बेउर, जिला-पटना

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री शशांक चंद्र, अधिवक्ता

विरोधी/दलों के अधिवक्ता: श्री संजय कुमार पांडे, एपीपी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा

सीएवी ऑर्डर

4 29-04-2023

याचिकाकर्ता के वकील श्री शशांक चंद्र और राज्य के अतिरिक्त लोक
अभियोजक श्री संजय कुमार पांडे को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर
दोष (ओं) को दूर करने की अनुमति है, जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया है।

याचिकाकर्ता जमानत मांगता है जो 2019 के पीरबहोर थाना मामला संख्या 612, एफ. आई. आर. दिनांक 27.11.2019 के संबंध में N.D.P.S अधिनियम की धारा 21,20 और 22 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 27.11.2019 से हिरासत में है।

इससे पहले याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को आपराधिक विविध सं. 2021 का 31366 में पारित 11.02.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 9.800 किलोग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ। कार में बैठे अभियुक्त व्यक्तियों के पैर के पास रखे थैले से बरामद किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत कि याचिकाकर्ता का पिछला इतिहास साफ है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि वह उस वाहन को चला रहा था जिससे प्रश्नगत प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। हालांकि, एफ. आई. आर. से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिबंधित पदार्थ को एक थैले में छुपाया गया था और उक्त थैले को वाहन की बीच की सीट के नीचे रखा गया था और उक्त बीच की सीट पर दो आरोपी व्यक्ति, जितेंद्र कुमार और सूरज कुमार बैठे थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले के मुखबिर, अर्थात् रिजवान अहमद खान से मुकदमे के दौरान पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई थी। कथित गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 40 में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि सूरज कुमार चंद्रवंशी के पैर के नीचे बरामद मादक पदार्थ और याचिकाकर्ता प्रश्नगत वाहन का चालक था और उक्त वाहन मन्नू उर्फ अभिमन्यु सिंह का है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता वाहन का चालक होने के नाते केवल वाहन के मालिक के निर्देशों का पालन कर रहा था।

08.02.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से मुकदमे के वर्तमान चरण के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई थी। विद्वत विचारण न्यायालय रिपोर्ट दिनांकित 10.02.2023 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किया गया है और 14 आरोप पत्र गवाहों में से 7 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को 27.11.2019 गिरफ्तार किया गया था और आज तक मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि एक आरोपी के त्वरित मुकदमे का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है। यद्यपि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में प्रतिबंधित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा की वसूली के मामले में जमानत देने के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, लेकिन उक्त शर्त अपने आप में कमजोर हो जाती है, जब त्वरित मुकदमे के आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अमित सिंह मोनी बनाम हिमाचल प्रदेश (आपराधिक अपील संख्या 2020 का 668) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 कि. ग्रा. और 285 ग्राम चरस बरामद करने के मामले में 2 साल और 7 महीने की कुल हिरासत से गुजरने वाले आरोपी को जमानत देने का फैसला किया। इसी तरह, कुलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 की एल.पी.ए (आप०) संख्या 518 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि 10.11.2021 पटना उच्च न्यायालय सी. आर. में वाणिज्यिक मात्रा की वर्जित सामग्री की बरामदगी के मामले में अभियुक्त को जमानत देने पर प्रसन्न है। उक्त अभियुक्त की अग्रिम आयु और उसकी कारावास की अवधि पर भी विचार करें, जो 2 वर्ष की थी। वर्तमान मामले में भी, घटना की कथित तिथि पर याचिकाकर्ता की आयु 32 वर्ष थी और अब तक वह 3 वर्ष से अधिक की कुल हिरासत में पूरी कर चुका है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत दे दी है जिनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन लंबित है और वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ की वसूली हो रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि जब एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अभियुक्त के त्वरित मुकदमे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की अनिवार्य शर्तें

कमजोर हो जाती हैं और अभियुक्त को नियमित जमानत का विशेषाधिकार दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह से 09.12.2022 को पूछताछ की गई थी, इसके बाद, मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है और उसके द्वारा की गई हिरासत की अवधि 3 साल से अधिक बताई गई है और निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एमआईएससी। 2023 (4) का No. 9036 दिनांक।

राज्य के लिए ज्ञात अतिरिक्त लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए N.D.P.S अधिनियम की धारा 37 के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता 27.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता को 25, 000/- (पच्चीस हजार) रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ, 2019 के पीरबहोर थाना केस संख्या 612 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XXVI, जिला-पटना की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन: .

1. याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करेगा और अदालत द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उचित रूप से उसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा और अदालत के निर्देश के अनुसार शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा और बिना पर्याप्त कारण के लगातार दो तारीखों पर उसकी अनुपस्थिति पर, उसके जमानत बांड को नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

2. यदि याचिकाकर्ता सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उस मामले में अभियोजन पक्ष स्वतंत्र होगा। जमानत रद्द करने के लिए कदम उठाना।

3. और आगे यह शर्त कि नीचे की अदालत याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन करेगी और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता

ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाया है, तो नीचे की अदालत याचिकाकर्ता के जमानत बांड को रद्द करने के लिए कदम उठाएगी। हालांकि, उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में जमानत बांड की स्वीकृति में सत्यापन के उद्देश्य से या उसके नाम पर देरी नहीं की जाएगी।

(राजेश कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति)

वनिशा/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।